संख्या : 118 / 1–10–2011–12(73) / 2010 टी.सी.

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

Po-1
Feed online
20/01/11

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 20 जनवरी, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी पर व्यय हुई धनराशि के भुगतान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपदा राहत मण्डलीय समिति, गोरखपुर की रूपये बीस लाख से अधिक तथा रूपये एक करोड़ से अनाधिक के कार्य के समक्ष वर्ष 2010–11 में अतिवृष्टि से प्रभावित मोहल्लों की जल निकासी पर हुए व्यय की स्वीकृति पत्रॉक RII/35-40/ तेरह -27(2006-2007) दिनॉक 08.12.2010 धनराशि रू 93,73,810 / –के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी पर व्यय हुई धनराशि रू 93,73,810 / –के सापेक्ष रू 25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र) नगर निगम गोरखपुर को अवमुक्त किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय-व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3– आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2010–11 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी पर व्यय हुई धनराशि के निमित्त व्यय की जायेगी।

5– कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्राप्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः

आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

6– आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1–11–2005–रा0–11 दिनॉक 20 जून 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर http://rahat.up.nic.in भी फीड करवाना सुनिंश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हो तो उन्हें दिनॉक 31 मार्च 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7– उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8– दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

9– व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 118 (1)/1–10–2011–12(73)/2010 टी.सी., तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार–लेखा/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/समीक्षा अधिकारी(लेखा), राजस्व अनुभाग–10/ राजस्व अनुभाग–6/11
7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे राहत की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8– राहत आयुक्त संगठन।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।